

(A)

3

यालय मध्य प्रदेश राजस्व मण्डल ग्वालियर म0प्र

ण क्रमांक

/2015 पुनर्विलोकन रिव्यू 274-PBR-15

प्रकरण क्रमांक R-48-PBR/15

1. सुभाष चन्द्र अग्रवाल पुत्र स्व. श्री राधाचरण अग्रवाल आयु 66 वर्ष व्यावसाय सेवानिवृत्त निवासी कालीमाई संतर, मुरार, ग्वालियर म.प्र.।  
—आवेदक/प्रार्थी

दिनांक 4-2-15 को

श्री बलदेव कुमाल, कौशिक बनाम  
द्वारा प्रस्तुत।

1. प्रेम चन्द सचदेवा पुत्र स्व.श्री रामधन सचदेवा निवास सत्यनारायण संतर, मुरार, ग्वालियर म.प्र.।
2. राजन सचदेवा पुत्र श्री आनंद सचदेवा निवासी कालीमाई संतर, मुरार, ग्वालियर म.प्र.।
3. पंजाब नेशनल बैंक द्वारा शाखा प्रबंधन ब्रांच मुरार ग्वालियर म.प्र.।
4. श्रीराम साईकल स्टोर द्वारा मुकेश अग्रवाल पुत्र रंगीलाल अग्रवाल
5. श्रीमती ममता अग्रवाल पत्नी मुकेश अग्रवाल निवासी गण सिंधी कॉलोनी गरम सडक मुरार ग्वालियर म.प्र.।

—अनावेदक/प्रतिप्रार्थीगण

पुनर्विलोकन (रिव्यू) आवेदन/याचिका अन्तर्गत धारा 51 म.प्र. मू-राजस्व सहिता 1959 विरुद्ध आदेश दिनांक 12.01.15 व मामले प्रकरण निगरानी क्रं. R-48-PBR/15 व उनमान प्रेमचंद सचदेवा एवं अन्य बनाम पंजाब नेशनल बैंक एवं अन्य।

श्रीमान जी,

प्रार्थी की ओर से निगरानी का पुनर्विलोकन (रिव्यू) आवेदन निम्नानुसार प्रस्तुत है :-

प्रकरण के तथ्य

1. यहकि, उक्त प्रकरण क्रमांक R-48-PBR/15 दिनांक 12.01.15 को आपके द्वारा गृह्यता एवं स्थगन पर सुना गया था तथा यह आदेशपारित किया गया था कि "उन्हे प्रकरण ग्राह्यता एवं स्थगन पर सुना गया। प्रकरण में सुनवाई हेतु पर्याप्त आधार होने से निगरानी ग्राह्य की जाती है अभिलेख तलब हों जहां तक स्थगन का प्रश्न है न्यायहित निगरानी कार्यालय द्वारा की जा रही अग्रिम कार्यवाही आगामी दिनांक 12.01.15 को प्रतिपक्षी पदार्थ पी-1 है

२ Roy-274 P.P. 115 210

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभावकों आदि के हस्ताक्षर
<p><u>6.2.2015</u></p>	<p>आवेदक की इतर ली श्री कल्प कुमार अभिभावक ने उपरोक्त होश प्रकरण गरी चर्चा का अनुरोध किया गया। अनुरोध स्वीकार किया जाता है। प्रकरण गरी चर्चा के कारण समाप्त किया जाता है।</p> <p style="text-align: right;">/s/  अध्यापक</p>	<p><i>Not in Drawn &amp; Not Pms. B. S. S. S. 10/2/15.</i></p>
<p><i>24/10/15</i></p>	<p><i>24/10/15</i></p>	<p><i>24/10/15</i></p>